REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

गोटूल : दशा एवं दिशा

डॉ.जी.डी.एस.बग्गा[1] , ममता ठाकुर[2]
[1]शोधनिर्देशक , विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) चं.चं. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.).
[2]शोधार्थी , सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

प्रस्तावना :-

प्राचीन काल से गोण्डवाना लैंड में ऐसी गण्ड व्यवस्था निर्मित एवं संचालित हैं जहॉ ना केवल संस्कारों की शिक्षा दी जाती है वरन शिक्षित एवं विभिन्न कलाओं मे प्रशिक्षित भी किया जाता है। इस व्यवस्था को ही ''गोटूल '' के नाम से जाना जाता है। गोटूल प्राचीन समय से व्यक्तित्व विकास, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक विकास की धूरी वाला विश्वविद्यालय रहा है । गोटूल में अमीरी–गरीबी, ऊंच–नीच, छूआ–छूत के बिना सभी सदस्यों को नियमों के उल्लंघन पर समान दंड व्यवस्था भी निर्मित है। गोटूल में जीवन साथी चयन की आकर्षक एवं महिला प्रधान व्यवस्था है किन्तु समय के साथ आधुनिकता ने इस व्यवस्था को प्रभावित किया है ।

शब्दार्थ:– बेलोसा, सिलेदार, चेलिक, मोटियारिन, मड़िया, पेज।

(१)एतिहासिक पृष्ठभूमि :–

विभिन्न पाषाण कालों में कोयतूर गोण्डों की सभ्यता विकसित हुई थी इसमें कबिलाई गण्ड व्यवस्था से नार गण्ड व्यवस्था, नार गण्ड व्यवस्था से कुल गण्ड व्यवस्था का विकास क्रम है। इन्ही गण्ड समुहों को शिक्षित, प्रशिक्षित, संस्कारवान एवं लोककलाओं में निपुर्णता लाने के लिए जिस गृह या भवन की स्थापना की गई उसे गोटूल के नाम से आज जाना जाता है। गोटूल की स्थापना ''जंगो रायतार '' द्वारा की गई थी किन्तु २२६० ई.पु. में पारी कुपार लिंगो द्वारा गोटूल को न केवल सशक्त किया गया वरन उसे उच्च स्तर तक ले जाया गया इसी कारण इन्हे ही गोटूल का मुख्य संस्थापक या नियामक के रूप में जाना जाता है। तभी से हर गांव में पेन गुडी जैसा ही श्रेष्ठ स्थल गोटूल स्थापित होने लगा। जनजाति वर्ग के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति, लोककला, लोकनृत्य एवं लोकगीत, लोककलाकृतियॉ, दाम्पत्य जीवन व्यवस्था एवं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था को संरक्षित एवं प्रचार प्रसार के लिए गोटूल का उपयोग किया जाता है। गोटूल में ''लिंगो पेन'' की आराधना की जाती है। गोटूल के नियम एवं रीति रिवाज लिंगो पेन द्वारा ही

निर्मित किये गये है।

(२) गोटूल :—

गोटूल शब्द गो+टूल के संयोजन से बना है। इसमें ''गो'' का तात्पर्य ''विद्या'' तथा ''टूल'' का तात्पर्य ''केन्द्र'' होता है। इस प्रकार गोटूल का शाब्दिक अर्थ विश्वविद्यालय या शिक्षा का मन्दिर होता है जहॉ गोण्ड जनजाति अपनी धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक परंपराओं को संरक्षित एवं सृजित करते है ।

(३) गोटूल के मुख्य आकर्षण या गोटूल की दशा :—

(३.१) वर्तमान में जिस प्रकार शैक्षणिक संस्थाऍ है उसी प्रकार प्राचीन समय से गोण्ड आदिवासियों का शिक्षा केन्द्र गोटूल रहा है ।

(३.२) अलग—अलग गोटूल संस्था का नाम, नियम, कानून एवं उद्देश्य अलग—अलग होते है ।

(३.३) अलग—अलग गोटूल संस्थाओं की गतिविधियॉ भी भिन्न—भिन्न होती हैं ।

(३.४) उरांव जनजाति के लोग गोटूल को ''धुमकुरिया'' के नाम से पुकारते हैं ।

(३.५) जनजाति वर्ग के लोग गोटूल को पावन स्थल मानते हुए छोटे एवं बड़ें सभी कार्यो का शुभारंभ गोटूल से ही करते है। जैसे — बच्चों का नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, शैक्षिक संस्कार एवं मृत्यु से संबंधित कार्य कलाप ।

(३.६) गोटूल में गोटूल के सदस्य ही प्रवेश करते हैं। गोटूल की सदस्यता उन्हे बाल्य काल से ही प्राप्त हो जाती है।

(३.७) गोटूल के सदस्य मिलकर सामाजिक, धार्मिक एंव आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं जिससे श्रमसंस्कार की भावना प्रबल होती हैं ।

(३.८) गोटूल में अनेक पद, नियम, अनुशासन, वेशभूषा, श्रृंगार, वाद्ययंत्र, हथियार एंव टोटम चिन्ह होते हैं जो उस गोटूल को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

(३.९) गोटूल में विधवा पूनर्विवाह की भी प्रथा है। गोटूल के तहत पुरूष ''**चेलिक**'' एंव महिला ''**मोटियारिन**'' के नाम से पुकारा जाता है। विधवा महिला मनपसंद चेलिक का चयन कर सकती है। इस प्रथा के तहत चेलिक बांस की कंघी बनाते है जिसे मोटयारिन चोरी करती है। यदि चेलिक नापसंद करता है तो वह पुन: कंघी बना सकता है। माड़िया जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है।

(३.१०) गोटूल प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक सहायता की भावना विस्तृत करना है ।

(३.११) गोटूल मनोरंजन का केन्द्र भी है जहॉ विभिन्न प्रकार के गीत—संगीत, नृत्य तथा अनेक खेल खेले जाते हैं।

(३.१२.) गोटूल में सभी सदस्यों के लिए एक जैसे नियम होते हैं, जो सर्वमान्य होते हैं। यह नियम अलिखित रूप में किन्तु कठोरता लिए होते हैं। जो इस प्रकार है :—

३.१२.A गोटूल के प्रमुख द्वारा सौपें गये कार्यो को सम्पन्न करना आवश्यक है ।

३.१२.B यहॉ की सफाई व्यवस्था के प्रमुख मोटियारिन को रोज यह कार्य करना जरूरी है ।

३.१२.C गोटूल के मुखिया की सहमति के बिना गावं का कोई भी प्रमुख कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता।

३.१२.D गोटूल के प्रत्येक चेलिक को प्रतिदिन लकड़ी लाना आवश्यक है ।

३.१२.E मोटियारिन के लिए पनेया (एक तरह का कंघा) बनाकर देना आवश्यक है ।

३.१२.F गोटूल तथा गावं में शांति बनाये रखने में सहयोगी होना आवश्यक है ।

३.१२.G समुदाय के पारंपरिक गीत व संगीत सीखना आवश्यक है ।

३.१२.H गोटूल में बनाये गये नियमों को उल्लंघन करने पर उस सदस्य को निष्कासन या आर्थिक दंड का पालन करना होगा ।

३.१२.I विवाद की स्थिति में दीवान की संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा तथा दीवान का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

३.१२.J सदस्यों को संगठन की भावना व एकता पर बल दिया जाता हैं।

३.१२.K युवक–युवतियों को एक सामान सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाहन की सीख दी जाती हैं।

३.१२.L अस्त्र शस्त्र का उपयोग व प्रकृति सरंक्षण को बल दिया जाता हैं ।

३.१२.M गावं में आई विपत्ति का सामना एकजुट होकर किया जाता हैं ।

३.१२.N ४ व ५ वर्ष की उम्र में गोटूल की सदस्यता दी जाती हैं ।

३.१२.O सदस्यता प्राप्ति हो जाने के बाद गोटूल के नियम सिखाये जाते हैं। इनका पालन करना आवश्यक होता है।

३.१२.P अनुशासित प्राप्त से जीवन यापन की सीख दी जाती हैं ।

३.१२.Q हस्तकला व प्राकृत नियमों का ज्ञान दिया जाता हैं ।

३.१२.R भावी वर–वधु को विवाहपूर्व दाम्पत्य जीवन की सीख दी जाती हैं ।

३.१२-S महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता है ।

३.१३ नियमों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान :–

गोटूल के अपने नियम बनाये गये है जो इसकी स्थापना के समय से चले आ रहे है। समय समय पर इनके नियमों में परिवर्तन भी किये जाते हैं। गोटूल के नियमों का पालन न होने पर उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड का भागी होना पड़ता है और दोषी व्यक्ति को उसके गलती के अनुरूप दंड का प्रावधान तय किया जाता है । प्रावधान दो तरह के बनाये गये है छोटी गलती व सजा– जिसे लघु दंड तथा बड़ी सजा– जिसे दीर्घ दंड में बांटा गया है। यदि त्रृटि सीमा से बाहर हो तो उसे गोटूल से निष्काशित किया जाता है । उल्लेखनीय है कि यदि निष्काशित दोषी को नियमों के अनुरूप दंडित किया गया है तो दंड के विरूद्ध समाज में कोई सुनवाई नहीं होगी। यहां के नियम तथा प्रशासन का ढंग प्रजातांत्रिक होता है।

दंड के प्रावधान निम्न है :–

(।) लघुदण्ड :– गोटूल के नियमों के अनुसार यहां की साफ–सफाई या प्रत्येक चेलिक (लड़का) को प्रतिदिन जलाऊ लकड़ी लाना आवश्यक है। इस नियम कार्य में चूक होने पर या भूल जाने से छोटी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस दण्ड के प्रावधान विधि में कार्य प्रकृति के अनुरूप सजा दी जाती है। लघु दण्ड को तीन रूप में विभाजित किया गया हैं:–

(१) आर्थिक दण्ड
(२) शारीरिक दण्ड
(३) प्रतिबंधात्मक दण्ड

(१) आर्थिक दण्ड – लघुदण्ड के रूप में प्रत्येक दोषी को ५ से १० रू तक के आर्थिक दण्ड दिया जाता है लेकिन यदि दोषी आर्थिक रूप से कमजोर है या आर्थिक दण्ड भुगतने की स्थिती में नहीं है तो उसे शारीरिक दण्ड़ दिया जाता है।

(२) शारीरिक दण्ड – शारीरिक दण्ड़ युवा और युवतियों के लिये अलग अलग बनाये गए हैं। युवाओं के लिये शारीरिक दण्ड में बेंट विधि है। इसमे बेंट से प्रहार करने का प्रावधान है। इसमें चेलिक को उखरू बैठा कर उसके दोनों घुटनों और कोहनियों के बीच एक मोटी सी गोल लकड़ी डाल दी जाती है । फिर उसे कपडे के ऐंठन करके मजबुत व कठोर बनाकर बेंट बनाया जाता है और इस बेंट से चेलिक के शरीर

पर प्रहार किया जाता हैं इस तरह के अलग—अलग शारीरिक दण्ड़ तय किये गये हैं। युवतियों को दी जाने वाली सजा में जैसे संस्था की साफ सफाई या अपने साथी का किसी कार्य में सहयोग न करने पर दण्ड स्वरूप उस कार्य को उसे स्वंय अकेले निपटाना पड़ता हैं। कभी कभी कुछ दण्ड इस प्रकार के होते हैं जिसमे दोषी को शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दण्ड भुगतने पड़ते हैं।

(३) प्रतिबंधात्मक दण्ड — प्रतिबंधात्मक दण्ड़ उस स्थिति में दिया जाता है जब कोई गोटूल के पदाधिकारी या मुखिया के आदेशों की अवहेलना करे, नियमों के प्रति लापरवाही करे, अनैतिक आचरण या त्रुटियों की बार—बार पुनरावृत्ति करे। इस प्रावधान के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को गोटूल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है उसे गोटूल के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं किया जाता है।

(ठ) दीर्घदंड :— दीर्घदंड के अंतर्गत यदि किसी चेलिक या मोटियारिन ने गोटूल के नियमों की अवहेलना सामाजिक रूप से की है तथा उसे दिया जाने वाला आर्थिक व शारीरिक दंड़ प्रावधान अपराध की तुलना में छोटा लगे तो ऐसी दशा में आवश्यकता अनुसार इस तरह के किसी भी अनैतिक कार्यों के लिए सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान है । ऐसे चेलिक व मोटियारिन को गोटूल से निष्कासित कर दिया जाता हैं।

३.१४ गोटूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, धरोहर व परम्परा को संरक्षित कर उसका प्रचार प्रसार करना है। गोटूल के उद्देश्य इस प्रकार है :—

३.१४.A सामाजिक रूप से आदिवासी समाज की संस्कृति, धरोहरों व परंपराओं का संरक्षण करना व प्रचार प्रसार करना।

३.१४.B इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सभी क्षेत्र जैसे — कला, संगीत, उत्पादन तथा शिक्षा आदि में दक्ष करना ।

३.१४.C गोटूल का मुख्य उद्देश्य सदस्यों में संगठन की भावना उत्पन्न करना हैं ताकि वे एक हो सके।

३.१४.D गोटूल का उद्देश्य सदस्यों के मध्य ऐसी भावना विकसित करना है ताकि वे स्वार्थ रहित होकर अपनी संस्कृति को जीवित रख सके।

३.१५ गोटूल का प्रबंध एंव संचालन —

गोटूल की गतिविधियों को व्यवस्थित तरिके से संचालित, नियंत्रित एवं प्रबंधित करने के लिए अनेक पदाधिकारी नियुक्त होते है जैसे — कोटवार, दीवान, सिलेदार, तहसीलदार, हवलदार, बुधकरी, दफेदार, दूलोसा, संदेशिया, मुकवार, बेलोसा, पटेल इत्यादि। इन सब अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व सुनिश्चित एवं पृथक—पृथक होते है। इन अधिकारियों को बाहर से चुनौती नहीं दी सकती। कोई अधिकारी, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है या कार्य में लापरवाही करता है तो उसे न केवल दण्डित किया जा सकता है वरन गोटूल सदस्यता को भी समाप्त कर सकते है। गोटूल की महिला प्रमुख ''बेलोसा'' कहलाती है जो बालिकाओं के शारिरीक एवं मानसिक परिवर्तनों के संबंध में शिक्षा देती है । इसी तरह पुरूष वर्ग के प्रमुख ''सिलेदार'' कहलाता है। अलग — अलग घोटूल की प्रकृति एवं उद्देश्य अलग — अलग होते है। जैसे — कुछ गोटूल का उद्देश्य, संस्कृति, परम्परा व लोक कलाओं का प्रशिक्षण देना होता है वहीं कुछ गोटूल विवाह के उद्देश्य से निर्मित किये जाते है। इनमें न तो पदाधिकारियों की संख्या सुनिश्चित होती है और न ही कार्यकाल पूर्व निर्धारित होता है। गोटूल में पदाधिकारियों का चयन उनकी बुद्धिमत्ता व निर्णय क्षमता पर आधारित होता है। उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नही दिया जाता है। गोटूल के मुखिया एवं अधिकारी सामाजिक सेवक के रूप कार्य करते है। गोटूल के सभी व्ययों का भुगतान दीवान की देखरेख में किया जाता है। सरकार से इस संबंध में कोई अनुदान, मान्यता एवं प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता ।

३.१६ गोटूल एवं दाम्पत्य जीवन :—

सामान्यत: गोटूल का संदर्भ दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक काल से लिया जाता है इसमें जीवन साथी चयन की आकर्षक परंपरा है। जिसके तहत चेलिक अर्थात लड़का बांस की कंघी बनाता है यदि मोटियारिन अर्थात लड़की उस कंघी को गोटूल से चुराकर अपने बालों में लगा लेती हैं तो यह माना जाता है कि मोटियारिन ने चेलिक को पसंद किया है। चेलिक भी अपनी कंघी को पहचान कर उसे जीवन साथी बनाने की बात कहता हैं और यदि मोटियारिन की सहमति मिल जाये तो वे गोटूल में साथ मिलकर नृत्य करते हुए लोकगीत गाते हैं। इस तरह वे दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं। यदि चेलिक को मोटियारिन पसंद न आये तो ऐसी दशा में उसके पास यह विकल्प होता हैं कि वह पुन: बांस की कंघी बना सकता है। दाम्पत्य जीवन आरंभ करने वाले दम्पत्तियों को गोटूल में विवाह का अर्थ, घर की साफ सफाई संबंधी कार्य, परिवार के सदस्यों का मान एंव देख भाल, पति पत्नि का महत्व एंव यौन शिक्षा संबंधी जानकारी भी गोटूल में उपलब्ध करायी जाती है। विवाह सुत्र में बांधने का कार्य गोटूल के मुखिया द्वारा संपन्न किया जाता है । विवाह खर्च की राशि का भुगतान चेलिक को करना पड़ता है। विवाह के समय गोटूल में नृत्य—संगीत, भोजन मड़िया तथा पेज की व्यवस्था होती है। मोटियारिन अपने साथ किसी प्रकार का दहेज नहीं लाती है। गोटूल में दाम्पत्य जीवन आरंभ करते समय इस बात का विषेश ध्यान रखा जाता है कि वर—वधु एक ही गोत्र के न हों क्योंकि समान गोत्र वाले स्त्री पुरूष भाई—बहन के रूप में माने जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होने पर गोटूल प्रमुख आवश्यकता अनुसार समाधान करता है।

(४) गोटूल व्यवस्था के प्रमुख लाभ :—

(४.१) शिक्षा केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में :— गोटूल जनजातियों के लिए शिक्षण केन्द्र के समान है जिसमें वे जीवन संबंधी, सामाजिक, आर्थिक, लोककला व औषधि संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं ।

(४.२) गोटूल भण्डार गृह के रूप में :— गोटूल भण्डार गृह के रूप में कार्य करता है। यहॉ जनजाति अपने द्वारा उत्पादित अनाज व फसलों को गोटूल में सुरक्षा की दृष्टि से रखते है तथा गावं में विपत्ति आने पर इसी भण्डार गृह से लोगों व गांव की मदद की जाती है। इसके देख भाल के लिए अधिकारी नियुक्त रहते हैं ।

(४.३) सुचना केन्द्र के रूप में :— आदिवासी बिहड़ क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे में ये जनजाति अपनी सुचना गोटूल में देते है फिर गोटूल के सदस्य व अधिकारी अपने सहयोगियों की मदद से सुचनाओं को घर—घर पहुचाने का काम करते है।

(४.४) विश्राम गृह के रूप में :— गोटूल एक विश्राम गृह के रूप में भी है। यहॉ बाहर से आये जनजातियों को आदर सम्मान से ठहराया जाता है और गोटूल प्रथा के अनुसार उसे लोककला, नृत्य—गीत में भी समानता के साथ शामिल किया जाता है। यहॉ बड़े छोटे का कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता है।

(४.५) सामाजिक संस्था के रूप में :— गोटूल सामाजिक केन्द्र के रूप में कार्य करता है जैसे मृत्यु, विवाह या अन्य किसी आवश्यक कार्यों में गोटूल समुदाय के सदस्य श्रमदान करते हैं। विवाद की स्थिति में गोटूल के मुखिया उसका निदान करते हैं। सामाजिक नियम बनाये गये है जो इस नियम के पालन कराने वाले अधिकारी अपने कार्यों को समझदारी से करते हैं ।

(४.६) समस्या निवारण केन्द्र :— गोटूल सामाजिक रूप से संगठित संस्था है जहॉ एकता का भाव दिखता है तथा वहीं यह एक समस्या निवारण केन्द्र भी है। यहॉ गांव का कोई भी सदस्य अपनी समस्या लेकर गोटूल में आता है तो उपस्थित मुखिया व अधिकारी उनकी बातों को सुनकर उसका हल बताते हैं।

(४.७) सभी कार्यो में निपुर्ण :— गोटूल एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र की तरह हैं जहॉ विभिन्न प्रकार के कार्यों की जानकारी दी जाती हैं जो एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी बातें समाहित रहती हैं। गोटूल के सदस्य लगभग सभी कार्यों में निपुर्ण रहते है।

(४.८) विभागिय कार्य पद्धति का विभाजन :— गोटूल में कार्यो का विभाजन उसके कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करता हैं जैसे दीवान संवैधानिक प्रमुख हैं, तो बेलोसा का अलग कार्य। इस तरह कार्यों को विभिन्न भागों में विभाजित कर विभागाध्यक्ष का चुनाव किया जाता हैं।

(४.९) महिला प्रमुख :— गोटूल व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को प्रमुखता दी जाती हैं। यहॉ महिलाओं को जन्मदायिनी के रूप में माना जाता है। यहॉ महिलाओं को प्रत्येक गतिविधियों में समान महत्व दिया जाता हैं। यहॉ महिलायें अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करती हैं। गोटूल प्रथा में विधवा पुनर्विवाह की आजादी रहती हैं।

(४.१०) चिकित्सा केन्द्र के रूप में:— गोटूल एक चिकित्सा केन्द्र की तरह है यहॉ जंगलों में पाये जाने वाले औषधियों को एकत्र किया जाता है और गॉव के बीमार सदस्यों, गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशु की देखभाल के समय इन औषधियों का वितरण करते हैं। यहॉ उपस्थित वैघ बीमारी की स्थिति में सबकी जॉच करने का काम करते हैं।

(५) गोटूल की दशा:—

कोई भी मानवीय दशा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। गोटूल भी इससे पृथक नहीं है। आज के संदर्भ में गोटूल व्यवस्था को प्रसंगिक बनाने के लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन करना नितांत जरूरी हो गया है जो गोटूल को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। ये परिवर्तन इस प्रकार किये जा सकेंगे:—

(५.१) अन्तर्जातीय विवाह प्रथा :—गोटूल वह स्थान जहॉ कहा जाता है कि नव युवक—युवतियां अपना दाम्पत्य जीवन का प्रारम्भ करते हैं जिसमें केवल अनुसूचित जनजातिय वर्गो के लोगों को आने की अनुमति होती है। अन्य समाज को आने की मनाही होती है। इसी कारण गोटूल व्यवस्था से अन्य वर्ग अपरिचित होते है और गोटूल सीमित हो जाता है। कुछ ऐसा किया जाये कि गोटूल अधिक विकसित हो इसका सबसे अच्छा रास्ता गोटूल अन्तर्जातीय विवाह व्यवस्था जो गोटूल को नया मोड़ देगा। इसके मुख्य फायदों के बारे मे जाने:—

(५.१.१) गोटूल सामाजिक बदलाव:— हमारा समाज विभिन्न जातियों तथा उपजातियों में बंटा है जो एक जटिल चक्रव्यूह में उलझा है। यही कारण है कि न सामाजिक उत्थान हो सका है न राजनैतिक। ऐसे जटिल परिस्थितियों में अन्तर्जातीय विवाह समाज में बदलाव लाने में अहम भूमिका अदा कर सकती है।

(५.१.२) रीतिरिवाजों मे परिवर्तन:— अन्तर्जातीय विवाह में समाज को दो विभिन्न समाज का व्यक्ति विवाह के पवित्र बंधनों में बंध जाते है तब समाज दो अलग—अलग विचाराधारा,परम्परा तथा रीतिरिवाज को अपनाता है। अन्य वर्गो के सम्पर्क से समाज की कुछ कुरीतियां भी दूर होने लगते है और एक नयापन समय के अनुसार होने लगता है। इस तरह गोटूल और अधिक विकसित होता चला जायेगा ।

(५.१.३) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त:— गोटूल व्यवस्था में सामान्य: अनुसूचित जनजातिय वर्गो के लोगों में ही विवाहिक संबंध कराये जाते है किन्तु यदि इस स्थान में अन्तर्जातीय विवाह भी कराये जाये तथा उनका प्रचार किया जाये तो गोटूल पहले की तुलना में अधिक सशक्त भुमिका निभा सकता है।

(५.१.४) आर्थिक सहायता:— गोटूल में विवाह करने वाले परिवार अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर होते है। अन्तर्जातीय विवाह व्यवस्था प्रारंभ होने से ऐसे लागों को आर्थिक मदद मिल सकती है तथा गोटूल में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ही नहीं अन्य वर्गो का भी प्रवेश होने लगेगा।

(५.१.५) जीवनशैली में परिवर्तन:— गोटूल में अन्तर्जातीय विवाह से समाज में एक नई क्रांति का जन्म होगा। इससे समाज के व्यक्तियों के जीवनशैली प्रभावित होने लगेगा, व्यक्ति के सोंचने की पधति

विकसित होगी, नये रीति रिवाजो को सिखने की शुरूवात होगी, नये समुदाय के लोगों को जानने का उनके रहन सहन को जानने का मौका मिलेगा, मानसिक विकास होगा तथा व्यक्तिक विकास होगा।

(५.१.६) नवीन पीढ़ी में परिवर्तन:— अन्तर्जातीय विवाह के दाम्पत्य जो दो भिन्न वर्गो से संबंध रखते है ऐसे दाम्पत्य से उत्पन्न बच्चे में शारीरिक तथा मानसिक रूप से बदलाव होता चला जायेगा। यह बदलाव नवीन पीढ़ियों में तथा गोटूल की नयी व्यवस्था में सहायक सिद्ध होगी।

(५.१.७) दहेज कुप्रथा से मुक्ति :— गोटूल प्रथा में विवाह के दौरान महिला वर्ग वर पक्ष को किसी भी प्रकार का उपहार स्वरूप भेंट नहीं देती हैं जबकि विवाह में होने वाले खर्च का दायित्व वर पक्ष को ही उठाना पड़ता है। यहॉ दहेज जैसी कोई भी कुप्रथा प्रचलित नहीं है लेकिन यदि वर पक्ष भी आर्थिक रूप से कमजोर है तो अन्तर्जातीय विवाह में शासन द्वारा प्राप्त राशि से इसकी पूर्ति की जा सकती है।

(५.१.८) शिक्षित वर्गो का प्रवेश:— गोटूल में अधिकतर गरीब व कम शिक्षित वर्गो की संख्या अधिक होती है लेकिन गोटूल अन्तर्जातीय विवाह प्रारंभ होने से शिक्षित वर्गो की संख्या में वृद्वि होने लगेगी जिससे गोटूल और अधिक विकसित होता चला जायेगा।

(५.१.९) ऊंच—नीच की भावना का अंत:— अन्तर्जातीय विवाह का मुख्य उद्धेश्य जातियों के बीच होने वाले ऊंच—नीच की भावना का अंत करना है। गोटूल, अन्तर्जातीय विवाह का मुख्य केन्द्र बन जायेगा जिससे गोटूल का प्रचार होने लगेगा।

(५.१.१०) पारिवारिक मान्यता:— गोटूल में अन्तर्जातीय विवाह व्यवस्था से ऐसे विवाह को पारिवारिक मान्यतायें भी प्राप्त होने लगेगा। परिवार के बड़े बूजुरगों की सोंच में परिवर्तन आयेगा तथा नये दाम्पत्य का स्वागत प्रसन्नता से करेंगे।

(५.२) गोटूल प्रथा के दोष एवं उपाय:— गोटूल में सामान्यत: लिंगोंपेन के प्राचीन नियम ही संचालित किये जातें है जो प्राचीन परिस्थितियों के अनुसार सही व उचित थी परंतु यदि गोटूल को वर्तमान मानविय जीवन से जोडना है तो समयानुसार गोटूल के नियम एवं परंपराओं को परिमार्जित करना होगा। सामान्यत: जनजाति के लोग दंड के भय से नियमों में परिवर्तन नही करते इसलिए अधिकारियों द्वारा भी यदि गलत निर्णय लिया जाता है तो भी इसका पालन किया जाता है जिससे उनके आत्मसम्मान में कमी आती है इसलिए शासन द्वारा इन वर्गो के प्रमुख्स व्यक्तियों की सहायता से नियमों को सरल,व्यवहारिक तथा विकासोन्नमुख बनाना चाहिए ।

(५.३) प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित:— गोटूल व्यवस्था प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावपूर्ण ढंग से जुडी नही है जिसके कारण गोटूल को प्रशासनिक सुविधा एवं प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिल पाता परिणाम स्वरूप गोटूल में संसाधनों की कमी के कारण विकास गति मंद है।

(५.४) राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता:—हमारे देश में प्रजातंत्र का शासन है जिसमें सभी को राजनैतिक व्यवस्था सहभागिता का अधिकार है। अत: यदि गोटूल भी राजनैतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो शासन से आवश्यक संसाधन प्राप्त कर विकास गति को तीव्र कर सकता है।

(५.५) संचार एवं यातायात व्यवस्था :— गोटूल सामान्यत: जंगली, ग्रामीण एवं बीहड़ क्षेत्रों में पाये जाते है यहां यातायात एवं संचार की कमी या अभाव होता है। यदि इन वर्गो को यातायात व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए तथा संचार व्यवस्था से प्रशिक्षित किया जाय तो वे गोटूल व्यवस्था को नवीन स्वरूप दे सकते है।

(५.६) गोटूल के पदाधिकारी :— गोटूल के पदाधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर परदर्शी पद्धति से होना चाहिए ताकि पदाधिकारियों के निर्णयों का सम्मान किया जा सके।

(५.७)शैक्षिक विकास:— उदसामान्यत: यह माना जाता है कि अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित व्यक्ति अधिक अच्छी तरह से व्यवस्था का निर्माण करते हुए उसका संचालन कर सकता है इसलिए गोटूल की मदद से गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संसाधनों का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि वे शिक्षित एवं प्रशिक्षित होकर गोटूल व्यवस्था को पहले की तुलना में अधिक प्रभावी बना सकें ।

(५.८)चिकित्सा केन्द्र के रूप में गोटूल:—मानव जीवन की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता चिकित्सा है अत: यदि गोटूल का विकास एक श्रेष्ठ एवं प्रभावी चिकित्सा केन्द्र के रूप में किया जाये तो गोटूल व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

(६) संदर्भ ग्रंथ सूची :—

1. www.janadesh.in date 07.05.2017(4.00pm)
2. hi.m.wikipedia.org-24.04.2017 (4.43pm)
3. hi.m.wikipedia.org/गोड़ जनजाति -24.04.2017 (4.43pm)
4. हरिहर वैष्णव – गोड़वाना युग – मासिक कैलेण्डर 2016 – 17
5. www.alokshukla.com date 13.06.2018(4.43pm)
6. www.tribal.cg.gov.in date 15.06.2018 (5.00pm)
7. www.hamargaon.com date 15.06.2018 (7.30pm)
8. www.yogiyojana.in date 20.06.2018 (4.00pm)

डॉ.जी.डी.एस.बग्गा
शोधनिर्देशक , विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) चं.चं. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.).

ममता ठाकुर
शोधार्थी , सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

LBP PUBLICATION